न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा, जिला– ऊधम सिंह नगर।

फौजदारी वाद संख्या–1418 / 2022

उत्तराखण्ड राज्य   बनाम   अर्जुन सिंह राणा आदि

धारा–323,504,506 भा0दं0सं0
थानाः नानकमत्ता जिला ऊधम सिंह नगर।

दिनांक 03.08.2024

पत्रावली पेश हुई। आज वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता मधु राना उपस्थित। अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता श्री एम0सी0 भटट न्यायालय उपस्थित। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्वीटी सिंह उपस्थित।

2. आज उक्त मामले में दोनों पक्षों की मध्यस्थता करायी गयी। मध्यस्थता के कारण दोनों पक्षो का आपस में राजीनामा हो गया है। उपरोक्त मामले में अपराधो का शमन किया जा सकता है। अभियुक्त अर्जुन सिंह राणा को धारा 323 व 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण अजय सिंह राणा व दीपू राणा को धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। समझौता होने के आधार पर उक्त मामला निस्तारित किया जाता है। उक्त मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

3. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांकः–03.08.2024

(भारती मंगलानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा
जिला–ऊधम सिंह नगर।